

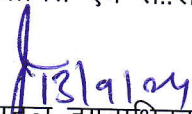
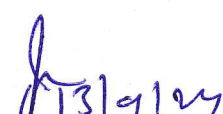
न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (बसिया)

आदेश

वाद सं० 17/2016
धारा 107 दं० प्र० सं०

प्रथम पक्ष — ज्योति देवी ...
बनाम

द्वितीय पक्ष — रूप नारायण साहु वगै०....

आदेश की क्र० सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	अभिलेख उपस्थापित :- थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं० 08/2016 दिनांक 06.04.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष :- ज्योति देवी उम्र 28 वर्ष, पति- सुबोध सिंह, ग्राम- कामडारा, प्रिंस चौक, थाना- कामडारा जिला- गुमला द्वितीय पक्ष :- (1) रूप नारायण साहु उम्र 28 वर्ष, पिता- केशवर साहु (2) धनमईत देवी उम्र 26 वर्ष, पति- रूप नारायण साहु ग्राम- गरई, थाना- कामडारा जिला- गुमला के बीच भूमि संबंधित विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना को लेकर वाद लाया गया था। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त वाद की कार्रवाई अवधि में उभय पक्षों के बीच किसी प्रकार की शांति भंग एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सूचना अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। उक्त वाद की कार्रवाई अभिलेख एवं ऑनलाईन में बंद नहीं होने के कारण आज दिनांक <u>13/09/2024</u> को उक्त वाद के अभिलेख एवं ऑनलाईन में बंद किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)	